न्यायालय सहायक कलेक्टर ,एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –10 / 2025

अनवान

1. शंभूलाल पुत्र चतुर्भुज नाथ, जाति नाथ, उम्र 41 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान, मो. नं. 9950512744
2. निर्वेन्द्र पुत्र चतुर्भुज नाथ, जाति नाथ, उम्र 34 वर्ष, पेशा होमगार्ड, निवासी मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान, मो. नं. 9602886287

– प्रार्थी

बनाम

श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब रावतभाटा।

प्रतिवादी / विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री पी.के. बिल्लू प्रार्थी
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 19.03.2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के संयुक्त खाते की जमीन ग्राम मोहना, पटवार हल्का एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा में स्थित है, जिसका खाता संख्या 74 खसरा संख्या 303, 39 मीन, 528, 696, 697, 706 रकबा क्रमशः 1.4800, 2.0, 0.7300, 0.03, 0.69, 0.55 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 5.4800 हेक्टेयर भूमि है। उक्त जमीन पर हमारे स्वर्गीय पिता चतुर्भुज नाथ ने बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा रावतभाटा से ऋण ले रखा था। हमारे पिता के निधन के बाद नामांतरण हमारे नाम खुला तथा भूमि भी बैंक के रहन रखी हुई थी। इसीलिए उक्त भूमि में हम खातेदार हैं, किन्तु भूमि बैंक के रहन दर्ज है। प्रार्थी संख्या 1 शंभूलाल का नाम जमाबंदी में "शिवशंकर" लिखा हुआ है, जबकि सही नाम "शंभूलाल" है। आधार कार्ड में भी नाम शंभूलाल अंकित है तथा बैंक में भी शंभूलाल नाम से ही हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 निर्वेन्द्र का नाम जमाबंदी में "नरेन्द्र" लिखा हुआ है, जबकि सही नाम "निर्वेन्द्र" है। प्रार्थी संख्या 2 होमगार्ड में कार्यरत है तथा उसका आधार कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम निर्वेन्द्र ही अंकित है। अतः दोनों प्रार्थीगण के नाम क्रमशः "शंभूलाल" एवं "निर्वेन्द्र" ही सही हैं। मूल जमाबंदी में हम दोनों प्रार्थीगण के नाम सही कराए जाने हैं। इस संबंध में हमने तहसीलदार, रावतभाटा को नाम सही कराने बाबत प्रार्थना पत्र ऑनलाइन दिनांक 30.07.2024 को प्रस्तुत किया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः वाद कारण दिनांक 30.07.2024 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। उक्त जमीन में हम दोनों के अतिरिक्त हमारा भाई अर्जुन, धीरज, हमारी माता धापू बाई, हमारी बहिनें कृष्णा, नर्वदा, पिंकी एवं मांगी बाई भी सहखातेदार हैं, किन्तु उनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहने से उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। उनके नाम जमाबंदी में सही दर्ज हैं। वादग्रस्त जमीन न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होकर नियमानुसार कोर्ट फीस सहित प्रस्तुत है। अंत में निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम मोहना, पटवार हल्का एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा के खाता संख्या 74 में दर्ज प्रार्थीगण के नाम "शिवशंकर" एवं "नरेन्द्र" को संशोधित कर क्रमशः "शंभूलाल" एवं "निर्वेन्द्र" किए जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो प्रकरण में वांछित रिपोर्ट दिनांक 18.03.2026 से पेश की गई। तहसीलदार रावतभाटा अनुसार ग्राम मोहना की वर्तमान जमाबंदी (वर्ष 2076–79) खाता संख्या 74 में भूमि दर्ज है, जिसमें शिवशंकर एवं नरेन्द्र के नाम दर्ज है। दोनो का हिस्सा क्रमशः 1/9–1/9 है तथा कुल रकबा 5.48है0 दर्ज है। उक्त खाते में दर्ज नाम शिवशंकर एवं नरेन्द्र है, जबकि प्रार्थीयों द्वारा अपने वास्तविक नाम क्रमशः शंभूलाल एवं निर्वेन्द्र दर्ज करवाने हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जांच में यह तथ्य सामने आया है कि प्रार्थी शंभूलाल को पूर्व में स्थानीय स्तर पर एवं बचपन में शिवशंकर के नाम से पुकारा जाता था। इसी प्रकार निर्वेन्द्र को भी नरेन्द्र के नाम से संबोधित किया जाता रहा है। प्रार्थी शंभूलाल के जनाधार, राशन कार्ड, आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिका (क्रमांक 0057347, वर्ष 2001) एवं पैन कार्ड में नाम शंभूलाल दर्ज है। इसी प्रकार अन्य प्रार्थी के पैन कार्ड, जनाधार, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिका (क्रमांक 231276, वर्ष 2008) में नाम निर्वेन्द्र दर्ज है। जांच के दौरान प्राप्त मौखिक साक्ष्य (मौतबिरान) के अनुसार शिवशंकर उर्फ शंभूलाल एक ही व्यक्ति है तथा नरेन्द्र उर्फ निर्वेन्द्र भी एक ही व्यक्ति है। अंत में निवेदन किया है कि उपयुक्त तथ्यों, उपलब्ध राजस्व अभिलेखों एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अभिलेखों में अंकित नाम एवं प्रार्थीयों के वास्तविक नाम में मात्र नामांतर का अंतर है, न कि व्यक्यिों मे कोई भिन्नता। उक्तानुसार जवाब पेश किया गया।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने से व इकबाले जवाब पेश करने से एवं प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है कि ग्राम मोहना, पटवार हल्का एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा के खाता संख्या 74 में दर्ज प्रार्थीगण के नाम "शिवशंकर" एवं "नरेन्द्र" अंकित है, जबकि प्रार्थीगण के असल नाम क्रमशः "शंभूलाल" एवं "निर्वेन्द्र" होकर समस्त दस्तावेजों मे अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के नाम "शिवशंकर" एवं "नरेन्द्र" के स्थान पर क्रमशः शिवशंकर उर्फ शंभूलाल एवं नरेन्द्र उर्फ निर्वेन्द्र करने के संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:–आदेशः–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–136 रा.ले.रे.एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम मोहना, पटवार हल्का एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 74 खसरा संख्या 303, 39 मीन, 528, 696, 697, 706 रकबा क्रमशः 1.4800, 2.0, 0.7300, 0.03, 0.69, 0.55 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 5.4800 हेक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थीगण के नाम "शिवशंकर" एवं "नरेन्द्र" के स्थान पर क्रमशः शिवशंकर उर्फ शंभूलाल एवं नरेन्द्र उर्फ निर्वेन्द्र दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को सुनाया गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ़